सरकारी योजनाओं
में
गैर सरकारी संगठन/स्वयं सेवी संगठनों/ नागरिक समाज संगठन की अधिकाधिक भागीदारी
के संबंध में
झारखंड सरकार
की
प्रारुप नीति, 2015

सरकारी योजनाओं के लक्ष्य एवं उद्येश्यों को सहज एवं समयबद्ध रुप से प्राप्त करने के लिए सरकार एवं गैर सरकारी संगठन/स्वयं सेवी संगठनों/ नागरिक समाज संगठन के बीच भागीदारी की आवश्यकता है। राज्य सरकार की मंशा है कि सीमित वित्तीय संसाधन का सर्वोत्कृष्ट उपयोग करते हुए जनसमुदाय को अधिकतम संख्या में अधिकतम लाभ दिया जा सके सके। यह भी प्रासंगिक है कि कुछ स्थितियों में सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उच्च प्रतिबद्धता तथा समर्पित मानव बल के कारण गैर सरकारी संगठन/स्वयं सेवी संगठनों/ नागरिक समाज संगठन बेहतर और सरकारी संस्थानों की अपेक्षा अधिक सक्षम हो सकते हैं।

राज्य सरकार, विषय की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए अपने अधीनस्थ विभागों/संस्थानों में विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयन में गैर सरकारी संगठन/स्वयं सेवी संगठनों/ नागरिक समाज संगठन की नियमानुकूल सहभागिता के लिए, निम्नवत नीति का निर्धारण करती है-

1. **राज्य / जिला स्तरीय "GO-NGO Taskforce"**

   क. गैर सरकारी संगठन/स्वयं सेवी संगठनों/ नागरिक समाज संगठन की सहभागिता की संभावनायुक्त विभागों में Programme Specific Standard Operating Procedures (SOP) for NGO participation को तैयार करने हेतु "GO-NGO Taskforce" (जिसमें राज्य स्तरीय प्रतिष्ठित दो-तीन स्वयं सेवी संगठनों को भी आमंत्रित किया जाएगा) गठन किया जाएगा।

   ख. उपायुक्त की अध्यक्षता में एक "District Level GO-NGO Task Force" का गठन किया जाएगा, जिसमें सभी संबद्ध विभाग के जिला स्तरीय इकाई के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सदस्य होंगे। उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद इस Task Force के सदस्य सचिव होंगे। "District Level GO-NGO Task Force" का उत्तरदायित्व सूचना संप्रेषण, विचारों का आदान-प्रदान, आपसी समन्वय के साथ-साथ बेहतर सहभागिता के आधार पर कार्यक्रमों/योजनाओं के लक्ष्यों की अभिप्राप्ति का अभिनिश्चयन एवं इस हेतु अनुश्रवण, मूल्यांकन आदि पर मुख्यतः केन्द्रित होगा।

ग. सभी संबद्ध विभागों का यह दायित्व होगा कि वे अपने जिला स्तरीय इकाई के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को "District Level GO-NGO Task Force" में अंतर्निहित उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेगे, उपायुक्त की अध्यक्षता एतद Task Force की बैठकों भाग लेने के साथ लिए गए निर्णयों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

2. **राज्य / जिला स्तरीय नोडल कोंटेक्ट पोईंट एवं राज्य/जिला स्तरीय समीक्षा पद्धति**

क. संबंधित विभागों में गैर सरकारी संगठन/स्वयं सेवी संगठन/ नागरिक समाज संगठन के लिए "Nodal Contact Point" नामित कर उसकी जानकारी वेबसाईट पर प्रकाशन के साथ ही अन्य विधियों से सभी संबद्ध को दी जाएगी।

ख. वैसे विभागों, जिनके कार्यक्रमों में गैर सरकारी संगठन/स्वयं सेवी संगठनों/ नागरिक समाज संगठन की सहभागिता होती है, के द्वारा उनके कार्य-संपादन (Performance) के आकलन के लिए वस्तुनिष्ठ मानदंड (objective Criteria) निर्धारित करते हुए उनका आवधिक मूल्यांकन कर सम्यक अग्रेतर कार्रवाई भी किया जाएगा।

ग. इस विषय के संबंध में विभिन्न Stakeholders से समन्वय, कार्यान्वयन के अनुश्रवण आदि के लिए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में पदस्थापित में किसी वरीय पदाधिकारी को जिला स्तरीय नोडल पदाधिकारी घोषित किया जाएगा जो उपायुक्त को समयबद्ध रुप से अद्यतन स्थिति/प्रगति आदि से अवगत कराऐंगे।

घ. प्रशासी विभाग द्वारा मासिक समीक्षात्मक बैठक में गैर सरकारी संगठन/स्वयं सेवी संगठन/ नागरिक समाज संगठन के कार्यों की समीक्षा की जाएगी।

ङ. उपायुक्त या आवश्यकतानुसार उनके द्वारा शक्ति प्रत्यायोजित किये जाने पर उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा जिला स्तरीय विभागीय समन्वय समिति की मासिक बैठक में विभिन्न विभागों के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा गैर सरकारी संगठन/स्वयं सेवी संगठनों/ नागरिक समाज संगठन के माध्यम से किए गए कार्यों की भी समीक्षा की जाएगी।

3. कार्यक्रम/**योजनावार** दिशा-निर्देश, SOP का निरुपण तथा उसका संप्रेषण

क. संबंद्ध विभागों द्वारा गैर सरकारी संगठन/स्वयं सेवी संगठनों/ नागरिक समाज संगठन की सहभागिता के लिए कार्यक्रम/योजनावार दिशा-निर्देश एवं SOP निरुपित करते हुए इसका वेबसाईट पर प्रकाशन किया जाएगा तथा इसकी जानकारी अन्य माध्यमों से भी सभी Stakeholders तक पहुँचाया जाएगा।

ख. गैर सरकारी संगठन/स्वयं सेवी संगठनों/ नागरिक समाज संगठन को, , Civil Construction से संबंधित कार्य (किसी केन्द्रीय या केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम के दिशा-निर्देश या राज्य सरकार द्वारा अनुबंधित/अनुमोदित किसी विशिष्ट कार्यक्रम के अंतर्गत यदि कोई उपबंध हो तो उसे छोड़कर) सौंपे नहीं जाऐंगे।

च. राज्य एवं जिला स्तर पर कार्यशालाएँ आयोजित कर गैर सरकारी संगठन/स्वयं सेवी संगठनों/ नागरिक समाज संगठन से संवाद स्थापित किया जाएगा जिसके दौरान विभाग में उनके सहयोग की संभावनायुक्त कार्यक्रमों/योजनाओं एवं उनके अद्यतन मार्ग-निर्देश से उन्हें अवगत कराते हुए सम्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु उनके सुझाव भी प्राप्त किए जाएँगें।

छ. विभिन्न प्रक्षत्रों में गैर सरकारी संगठन/स्वयं सेवी संगठनों/ नागरिक समाज संगठन की सहभागिता के Success Stories के आधार पर गैर सरकारी संगठन/स्वयं सेवी संगठनों/ नागरिक समाज संगठन की सहभागिता के अवसर, उसकी आवश्यकता, इस हेतु समुचित दिशा-निर्देश आदि का निरुपण करते हुए विभागों के प्रधान/सचिव, सरकार की सहमति प्राप्त कर Institutionalization of Best Delivery System की दिशा में उचित निर्णय लेंगे।

4. गैर सरकारी संगठन/ स्वयं सेवी संगठनों/ नागरिक समाज संगठन का चयन

क. विभागों के द्वारा, मार्गदर्शिका में अनुमान्यता की स्थिति में, योग्य एवं गुणवत्तापूर्ण गैर सरकारी संगठन/ स्वयं सेवी संगठनों/ नागरिक समाज संगठन का चयन दिशा-निर्देशों, Norms के अनुरुप समुचित तकनीकी एवं वित्तीय मापदंड निर्धारित करते हुए विधिसम्मत पारदर्शी पद्धति से किया जाएगा।

ख. किसी अभिनव परियोजना (Innovative Project) के पूर्ण या किसी खास अवयव/अवयवों के कार्यान्वयन का भार किसी विशिष्ट गैर सरकारी संगठन/ स्वयं सेवी संगठनों/ नागरिक समाज संगठन को दिए जाने के बिंदु पर प्रारंभिक मंतव्य गठित करने के लिए संबंधित प्रशासी विभाग में प्रधान सचिव/सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें वैसे अन्य विभाग जिनके के साथ Convergence निहित हो के वरीय पदाधिकारी को सदस्य के रुप में आमंत्रित किया जाएगा। इस समिति के एतद प्रारंभिक मंतव्य पर प्रशासी विभाग अपने अनुमोदन के साथ मुख्य सचिव के समक्ष निर्णय के लिए उपस्थापित करेगी।

ग. राज्य में ही मूलतः निबंधित गैर सरकारी संगठन/स्वयं सेवी संगठनों/ नागरिक समाज संगठन, जिनमें Capacity, Integrity, Quality Delivery के गुण हों, को चयन के लिए प्रशासी विभाग विभिन्न मापदंडों में "स्थानीय परिवेश एवं भाषा से भिज्ञता तथा राज्य में सफल

कार्य" का समावेश कर उसके लिए अंक (अधिकतम 10%) दिए जाने पर भी संबद्ध विभाग समुचित विचार कर सकेगा।

घ. स्थानीय गैर सरकारी संगठन/स्वयं सेवी संगठनों/ नागरिक समाज संगठन किसी ख्याति प्राप्त सक्षम गैर सरकारी संगठन/स्वयं सेवी संगठनों/ नागरिक समाज संगठन के सहयोग (Collaboration) कर अपनी क्षमता बढा सकते हैं परंतु ऐसे स्थानीय गैर सरकारी संगठन/स्वयं सेवी संगठनों/ नागरिक समाज संगठन (जिसमें अन्य गैर सरकारी संगठन/स्वयं सेवी संगठनों/ नागरिक समाज संगठन का सहयोग अंतर्निहित हो) के चयन की स्थिति में मुख्य तथा सहयोगी दोनों ही संस्थाओं का सौंपे गये कार्यों/उत्तरदायित्वों के सम्यक कार्यान्वयन हेतु संयुक्त उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। चयन में यह ध्यान रखना अनिवार्य होगा कि अनुदान निलंबित / काली सूची में डाले गये गैर सरकारी संगठन/स्वयं सेवी संगठनों/ नागरिक समाज संगठन का चयन नहीं किया जाएगा।

ङ. आवश्यक दिशा-निर्देश/प्रक्रिया निर्धारित कर विभिन्न विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, Information Education Communication, Awareness Generation Programme का भार वैसे गैर सरकारी संगठन/स्वयं सेवी संगठनों/ नागरिक समाज संगठन, जिनके पास भवन, क्षमता, विषय वस्तु से संबंधित प्रशिक्षक, विशेषज्ञ उपलब्ध हों, को विधिवत चयनोपरांत दिया जा सकेगा।

च. विभागों या उनके जिला स्तरीय मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा गैर सरकारी संगठन/स्वयं सेवी संगठनों/ नागरिक समाज संगठन से सहयोग लेने की स्थिति में उनके साथ Memorandum of Understanding हस्ताक्षरित की जाएगी जिसमें दोनों पक्षों की भूमिकाओं के साथ ही Deliverables, Time-Line तथा कार्य-संपादन के आकलन के लिए वस्तुनिष्ठ मापदंड का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा। राज्य एवं जिला स्तरीय अनुबंध के लिए MoU के स्वरुप एवं इसमें सन्निहित बिंदुओं का अनुमोदन स्थापित दिशा-निर्देशों के अधीन क्रमशः विभागीय प्रधान सचिव/सचिव एवं उपायुक्त द्वारा प्रदान किया जाएगा।

5. गैर सरकारी संगठन/स्वयं सेवी संगठनों/ नागरिक समाज संगठन से संबंधित एकीकृत सूचना प्रणाली

क. विभागों के द्वारा उनके कार्यक्रमों से जुड़े गैर सरकारी संगठन/स्वयं सेवी संगठनों/ नागरिक समाज संगठन, जो किसी भी मान्य विधि से निबंधित हों, के कार्यों (उसपर विभागीय मंतव्य सहित) की जानकारी राजस्व, भूमि सुधार एवं निबंधन विभाग एवं महानिरीक्षक, निबंधन (IG, Registrations) को उनके द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दी जाएगी।

ख. महानिरीक्षक, निबंधन(IG, Registrations) द्वारा गैर सरकारी संगठन/स्वयं सेवी संगठनों/ नागरिक समाज संगठन से संबंधित डाटाबेस (Database) में आवश्यक उपबंध करते हुए